भारत सरकार
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2715
16.03.2026 को उत्तर देने के लिए

एमपीएलएडी निधि बढ़ाए जाने की तत्काल आवश्यकता

2715. डा. अजित माधवराव गोपछड़ेः

क्या सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विकास कार्यों की आवश्यकताओं की तुलना में ₹5 करोड़ की वार्षिक राशि अपर्याप्त पाए जाने के बावजूद एमपीएलएडी के अंतर्गत निधि की राशि में वृद्धि न किए जाने के क्या कारण हैं;

(ख) क्या सरकार आगामी वर्षों में इस राशि को बढ़ाने की इच्छुक है;

(ग) क्या सरकार राज्य सभा के सदस्यों द्वारा प्रतिनिधित्व किए जाने वाले विस्तृत क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए उनके लिए निर्धारित राशि में वृद्धि करने की योजना बना रही है; और

(घ) इस मामले पर सकारात्मक रूप से विचार करने में क्या मुश्किलें और बाधाएं हैं, जबकि यह मामला पहले भी सरकार के ध्यान में लाया जा चुका है?

उत्तर

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); योजना मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और संस्कृति मंत्रालय के राज्य मंत्री (राव इंद्रजीत सिंह)

(क) से (घ) मंत्रालय निधि आवंटन में संशोधन के प्रस्तावों सहित विभिन्न हितधारकों से नियमित रूप से सुझाव प्राप्त करता है और निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार उनकी जांच करता है। वर्तमान में, संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमपीलैड्स) के तहत वार्षिक आवंटन को मौजूदा 5 करोड़ रुपये प्रति वर्ष की सीमा से आगे बढ़ाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमपीलैड्स) के तहत, प्रत्येक माननीय संसद सदस्य प्रतिवर्ष 5 करोड़ रुपये का हकदार है, चाहे माननीय संसद सदस्य द्वारा प्रतिनिधित्व किए जाने वाले क्षेत्र का आकार कुछ भी हो।

एमपीलैड योजना का उद्देश्य विभिन्न कार्यक्रम मंत्रालयों और विभागों द्वारा अपने-अपने क्षेत्रों में कार्यान्वित विकासात्मक योजनाओं का विकल्प बनना नहीं है, अपितु लास्ट-माइल कनेक्टिविटी और आवश्यक अवसंरचना के सृजन के माध्यम से स्थानीय स्तर पर महसूस की जाने वाली आवश्यकताओं को पूरा करके उनका पूरक बनना है। इस योजना में जमीनी स्तर पर निधि के उपयोगिता के प्रभाव को बढ़ाने के लिए अन्य मौजूदा योजनाओं के साथ समन्वय का भी प्रावधान है, जिससे माननीय सांसदों को संसाधनों के प्रभावी संयोजन के माध्यम से अपने निर्वाचन क्षेत्रों में बड़ी परियोजनाओं की योजना बनाने और उनकी संस्तुति करने में सहायता मिलेगी।

*****